



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. 2nd Interim Suspension Of Sentence
Application No. 864/2026

In

S. B. Criminal Appeal No. 1485/2025

Rekhraj Son Of Bharat Lal, Resident Of Bad Dehri, Police Staion
Batoda , Gangapur City Raj.

(Presently Confined In District Jail, Karauli)

---Accused-Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Lakshman Son Of Shri Bati Lal, Aged About 45 Years,
Resident Of Gothara, Police Station Sapotara, District
Karauli (Raj).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Kumar Verma, Adv. Mr. Rajveer Saini, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

07/05/2026

द्वितीय अन्तरिम सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर पर सुना गया,
अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग
अधिनियम, 2005 जिला-करौली द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-10/2025 अपराध
अंतर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. तथा धारा 5(एल)/6 लैंगिक
अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दोषी करार देते हुए
अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त की सगी बहन का विवाह दिनांक 14.05.2026 को नियत है, पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, अतः उपरोक्त प्रयोजन के लिए 15 दिवस की अंतरिम जमानत सुविधा प्रदान की जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्त के अंतरिम सजा स्थगन आवेदन का विरोध करते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अभियुक्त करीब ढाई वर्ष से अभिरक्षा में है, विवाह के तथ्य को संबंधित थानाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, अतः समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त रेखराज को अपनी बहन की शादी में रीति रिवाज आदि निभाने हेतु सम्मिलित होने के लिए **दिनांक 11.05.2026 से दिनांक 24.05.2026** तक की अवधि के लिए अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः यह द्वितीय अन्तरिम सजा स्थगन/जमानत प्रार्थी/अभियुक्त रेखराज पुत्र भरत लाल की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद **एक लाख** रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास-पचास हजार** रुपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इन शर्तों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं कि वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा एवं अपराध की पुनरावर्ती नहीं करेगा एवं अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दिनांक **25.05.2026** को **प्रातः 10:30 बजे** तक पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्म समर्पण करेगा, तो प्रार्थी/अभियुक्त को **दिनांक 11.05.2026 से दिनांक 24.05.2026** तक की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः दिनांक **25.05.2026** को संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की जावे।

आदेश की प्रति कार्यालय द्वारा संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी को जरिए ई-मेल अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /123 (S)